छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

——00——

अधिसूचना

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई, 2021

कमांक 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–झ के खण्ड (1) सहपठित यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसमें श्री सरजियस मिंज, अध्यक्ष होंगे।

2. आयोग के अध्यक्ष, ऐसी तारीख, जिस पर वे पदभार ग्रहण करते है, से 31 जुलाई, 2023 तक पद धारण करेंगे।

3. आयोग को सौंपे जाने वाले कार्यों के संबंध में पृथक से अधिसूचना जारी की जायेगी।

4. आयोग, उपरोक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित प्रत्येक विषय पर, 1 अप्रैल, 2025 से प्रारंभ होने वाली 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 2023 तक या उससे पूर्व उपलब्ध करायेगा। आयोग यह भी उपदर्शित करेगा कि किस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाले हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आनंद मिश्रा)
उपसचिव

कमांक 37/14/वित्त/विआप्र/चार/2021 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इसकी अधिसूचना कमांक 37, दिनांक 29 जुलाई, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आनंद मिश्रा)
उपसचिव

पृष्ठ.क. 38/14/वित्त/विआप्र/चार/2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई, 2021

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर;
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर;
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर ;
4. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
5. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर;
6. श्री सरजियस मिंज (गृह जिला–जशपुर), मकान नं. 09, मौलश्री विहार, वी.आई.पी. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़;
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर;
8. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर;
9. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर;
10. सचिव वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
11. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर ;
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली;
13. राज्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर ;
14. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा वित्त विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
15. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर ;
16. मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़;
18. समस्त कोषालय अधिकारी, इंद्रावती/जिला कोषालय, छत्तीसगढ़;
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़;
20. संचालक शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर ;
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़;
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर;
23. संचालक वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट http://finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु;

–––––की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आनंद मिश्रा)
उपसचिव